पन्नून हत्या-साजिश: निखिल गुप्ता को 235 महीने का कारावास

अंतर्राष्ट्रीय संबंध • भारत-अमेरिका • आंतरिक सुरक्षा | GS-II/GS-III | समाचार-संदर्भ: 20 नवंबर 2026 (न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में सज़ा की घोषणा)
प्रिलिम्स: भारत-अमेरिका संबंध, प्रत्यर्पण, अंतर्राष्ट्रीय कानून | प्रकाशन: 21 नवंबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 20 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता (55) को 235 महीने (लगभग साढ़े उन्नीस वर्ष) कारावास की सज़ा सुनाई। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार गुप्ता ने अमेरिका-आधारित भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश में भाग लिया था। गुप्ता इसी वर्ष फरवरी में हत्या-के-ठेके (murder-for-hire), उसकी साजिश और धन-शोधन की साजिश के आरोप स्वीकार कर चुका था।

मामले की पृष्ठभूमि

- **आरोप-क्रम**: अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार 2023 में गुप्ता ने भारत में रहते हुए सह-आरोपी विकाश यादव के साथ मिलकर साजिश रची। अभियोजन का दावा है कि यादव उस दौरान भारत सरकार का कर्मचारी था।
- **पकड़ में आई साजिश**: गुप्ता ने जिसे अपराधी समझकर संपर्क किया, वह वास्तव में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का गुप्त सूत्र था, और जिसे भाड़े का हत्यारा समझा गया, वह निकला DEA का गुप्त अधिकारी। सौदा $1,00,000 में तय हुआ; 9 जून 2023 को $15,000 एडवांस दिया गया।
- **निज्जर-कड़ी**: 18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद गुप्ता ने कथित तौर पर कहा कि अब पन्नून की हत्या में देरी की ज़रूरत नहीं; साथ ही उसने निर्देश दिया था कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका-यात्रा (जून 2023) के आसपास हत्या न की जाए।
- **गिरफ़्तारी और प्रत्यर्पण**: गुप्ता 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ़्तार हुआ और जून 2024 में अमेरिका को सौंपा गया।
- **यादव की स्थिति**: विकाश यादव पर भी आरोप लगाए गए हैं, पर वह इन अमेरिकी आरोपों के संबंध में अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है।

कानूनी पहलू

- **हत्या-के-ठेके का अपराध**: अमेरिकी संघीय कानून में किसी हत्यारे को काम पर रखना और उसकी साजिश स्वतंत्र गंभीर अपराध हैं; धन-शोधन की साजिश का आरोप भुगतान-शृंखला से जुड़ा।
- **क्षेत्राधिकार**: अमेरिकी न्याय विभाग ने ज़ोर दिया कि अमेरिकी मिट्टी पर या अमेरिकी नागरिकों के विरुद्ध हिंसा की साजिश रचने वालों को "चाहे वे कहीं भी हों" अभियोजित किया जाएगा, यह क्षेत्राधिकार का विस्तारित प्रयोग है।
- **दोषस्वीकृति**: गुप्ता ने फरवरी 2026 में दोष स्वीकारा, जिससे मुकदमा नहीं चला; मामला सीधे सज़ा-सत्र में आ गया।

भारत-अमेरिका संबंधों पर असर

मामला आपराधिक न्याय-सहयोग और द्विपक्षीय विश्वास, दोनों की परीक्षा है। भारत के गृह मंत्रालय ने 15 जनवरी 2025 को बताया था कि नवंबर 2023 में गठित उच्चाधिकार प्राप्त जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपकर एक व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई और प्रणालियों में सुधार की सिफारिश की थी। उस विज्ञप्ति ने व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। गुप्ता की सज़ा को सह-आरोपी यादव के विरुद्ध दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता; आरोप और न्यायिक निष्कर्ष अलग हैं।

आगे की राह

प्रत्यर्पण का अर्थ है किसी आरोपी या दोषी को दूसरे देश की आपराधिक न्याय-प्रक्रिया के लिए सौंपना। पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) में साक्ष्य, दस्तावेज़ और जाँच-सहयोग शामिल हो सकते हैं; यह व्यक्ति के प्रत्यर्पण से अलग है। आगे की न्यायिक प्रक्रिया और आधिकारिक वक्तव्यों को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है। संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और विधिसम्मत सहयोग के बीच संतुलन ही परीक्षा का मुख्य विश्लेषण-बिंदु है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "हालिया पन्नून-प्रकरण में अमेरिकी अदालत की सज़ा राष्ट्र-राज्य की संप्रभुता, क्षेत्राधिकार और कूटनीतिक संबंधों के बीच तनाव को दर्शाती है।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका:
मामले की पृष्ठभूमि दो-तीन पंक्तियों में।

मुख्य भाग:
विदेशी धरती पर अभियोजन का क्षेत्राधिकारी तर्क; प्रत्यर्पण और MLAT जैसी सहयोग-प्रणालियाँ; भारत की जाँच समिति की आधिकारिक सिफारिशें; द्विपक्षीय विश्वास और खुफिया-सहयोग पर असर; अंतर्राष्ट्रीय कानून में नागरिक-सुरक्षा बनाम संप्रभुता।

निष्कर्ष:
संस्थागत संवाद और कानून-आधारित निपटान ही दीर्घकालिक रास्ता।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: अमेरिकी अदालत ने पन्नून हत्या-साजिश में निखिल गुप्ता को 235 महीने कारावास की सज़ा दी; साजिश 2023 की है, गिरफ़्तारी चेक गणराज्य में हुई और प्रत्यर्पण जून 2024 में।

प्रश्न: निखिल गुप्ता पर कौन-से आरोप थे?

हत्या-के-ठेके, उसकी साजिश और धन-शोधन की साजिश; उसने फरवरी 2026 में दोष स्वीकार कर लिया था।

प्रश्न: भारत की जाँच के बारे में आधिकारिक स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय ने जनवरी 2025 में जाँच समिति की रिपोर्ट, एक अनाम व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और प्रक्रियागत सुधार की सिफारिशों की जानकारी दी थी।

प्रश्न: विकाश यादव कौन है और उसकी स्थिति क्या है?

अमेरिकी आरोप-पत्र में गुप्ता का सह-आरोपी; इन अमेरिकी आरोपों के संबंध में अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है, मामला खुला है।

स्रोत

1. अमेरिकी न्याय विभाग (आधिकारिक विज्ञप्ति, 20 नवंबर 2026): https://www.justice.gov/opa/pr/indian-national-sentenced-over-19-years-prison-plotting-assassinate-us-citizen-new-york-city
2. गृह मंत्रालय की जाँच समिति संबंधी विज्ञप्ति (15 जनवरी 2025): https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2093056&lang=2&reg=48
3. UNODC, प्रत्यर्पण का अर्थ और प्रक्रिया: https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html

PCS MANTRA